

13/09/06

41

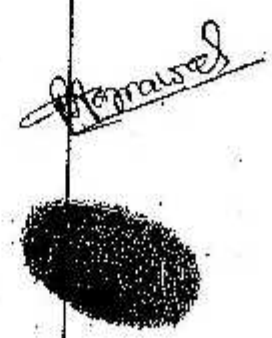


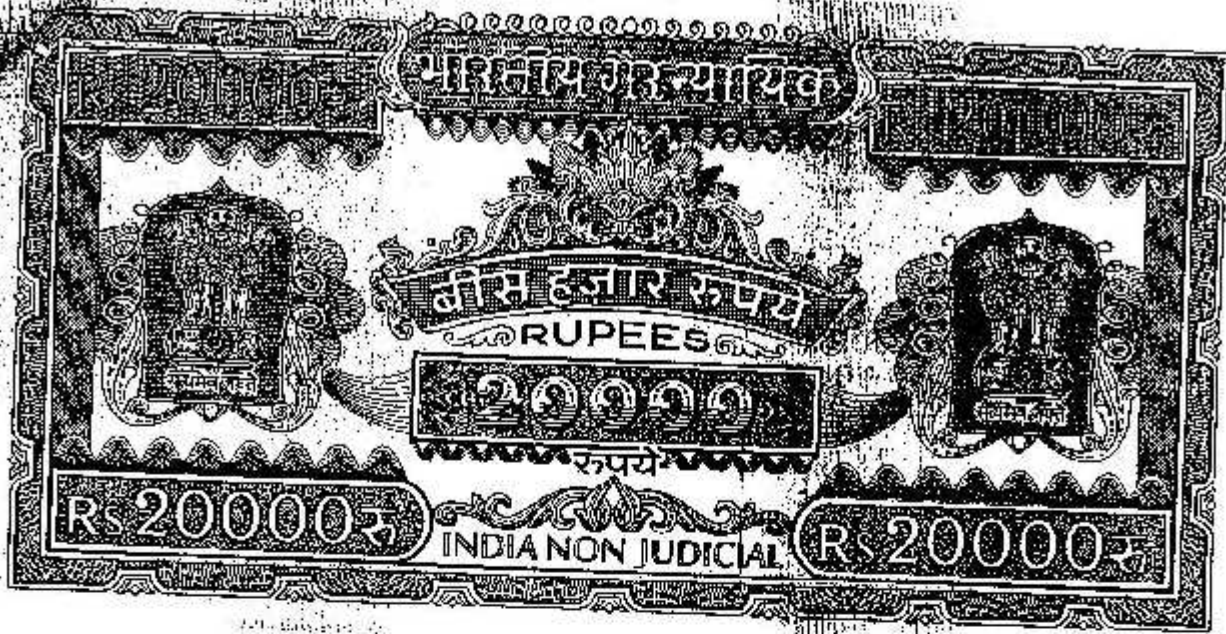
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177941



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
 2. मौहल्ला/ग्राम...मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
 3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.572 हैक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
 5. पेड़ों का मूल्यांकन नहीं
 6. बोरिंग/कुआ/अन्य नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि 2250000/-रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत 2250000/-रुपये
 9. स्टाम्प देय 225000/-रुपये
 10. सरकारी वर भूमि सड़क से दूर 1000000/-रुपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा -प्रथम/द्वितीय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177942

20 NOV 2006

(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

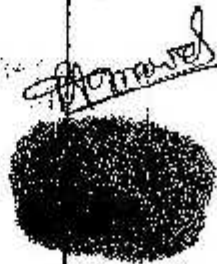
रूपी पुत्र श्री सुमेश निवासी नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालीनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा

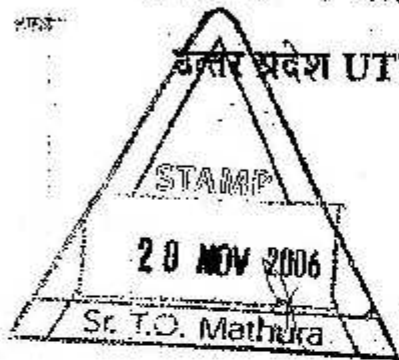
मैं कि रूपी पुत्र श्री सुमेश निवासी नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177943



(3)

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरो खाता नंबर-392 व खसरा नंबर-140 रकबा 0.572 हैक्टेयर लगानी 12/60 रुपये सालाना बाँके मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिलिक्यत मेरी है और सरकारी कागजात साल में मेरा नाम बडैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अटि कार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बेनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वितीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी दार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ

१७/११/०६



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177944



(4)

मिलिकयत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी
रेट 1000000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु
मालियत 2250000/-रुपया है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से
इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये
को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः सक्त



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177945



(5)

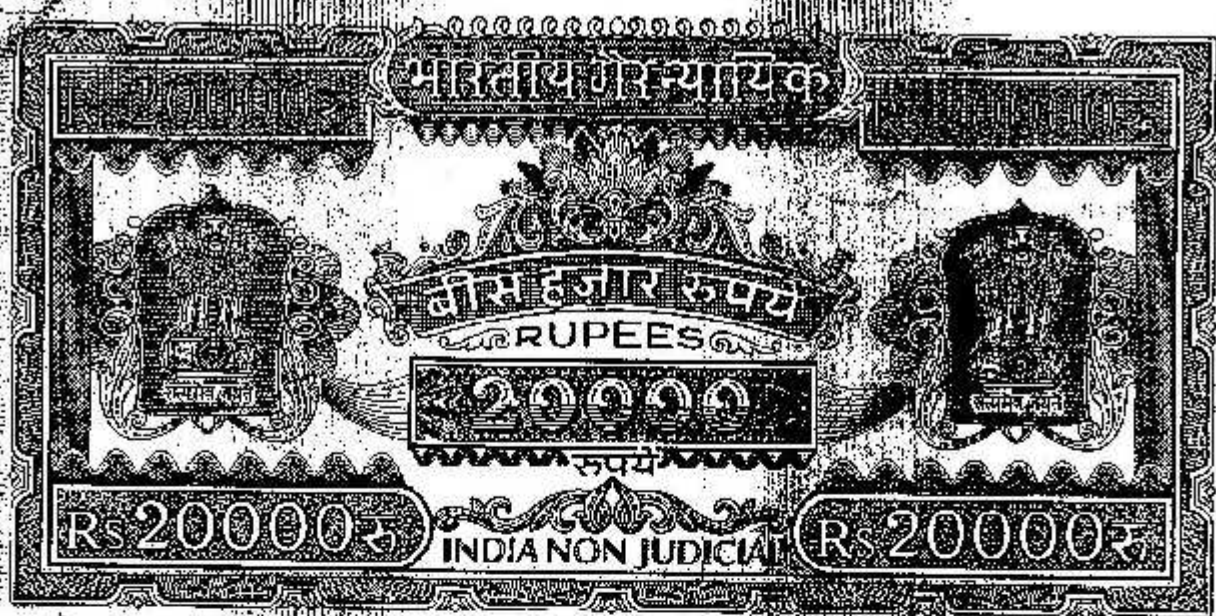
आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं वरवज 2250000/- बाईस लाख पचास हजार रुपये जिसके आधे 1125000/- ग्यारह लाख पच्चीस हजार रुपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौंगी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मधुग के हक में बे कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का शूल रुपया खरीदार से पहले पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कच्चा व कच्चा मालिकाना करा दिया

10/11/06



10/11/06





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177946



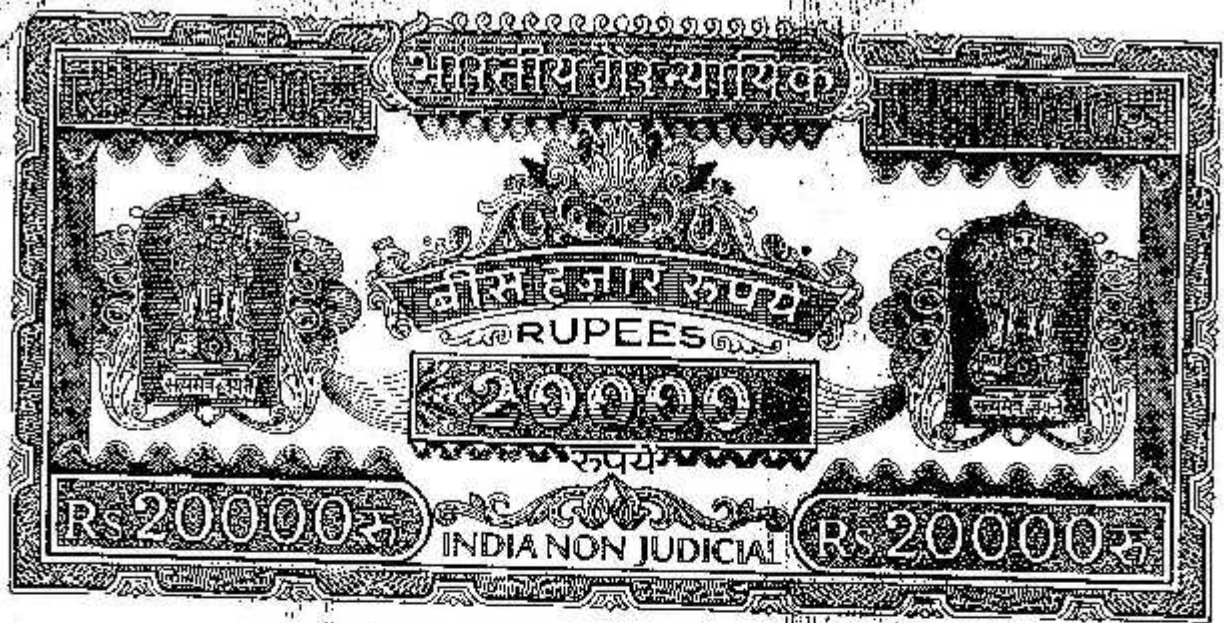
(6)

1 खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई



Minawel





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177947



(7)

बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार यह सब मुझसे व मेरे वारिसागों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हरव जास्ता मय खर्चे को बभूल करलें । आराजी एक फसल है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खरी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है । विक्रेता अपनी उक्त आराजी के

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177948



(8)

बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से लय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के सम्मक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबधन कार्यालय उ0नि0





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

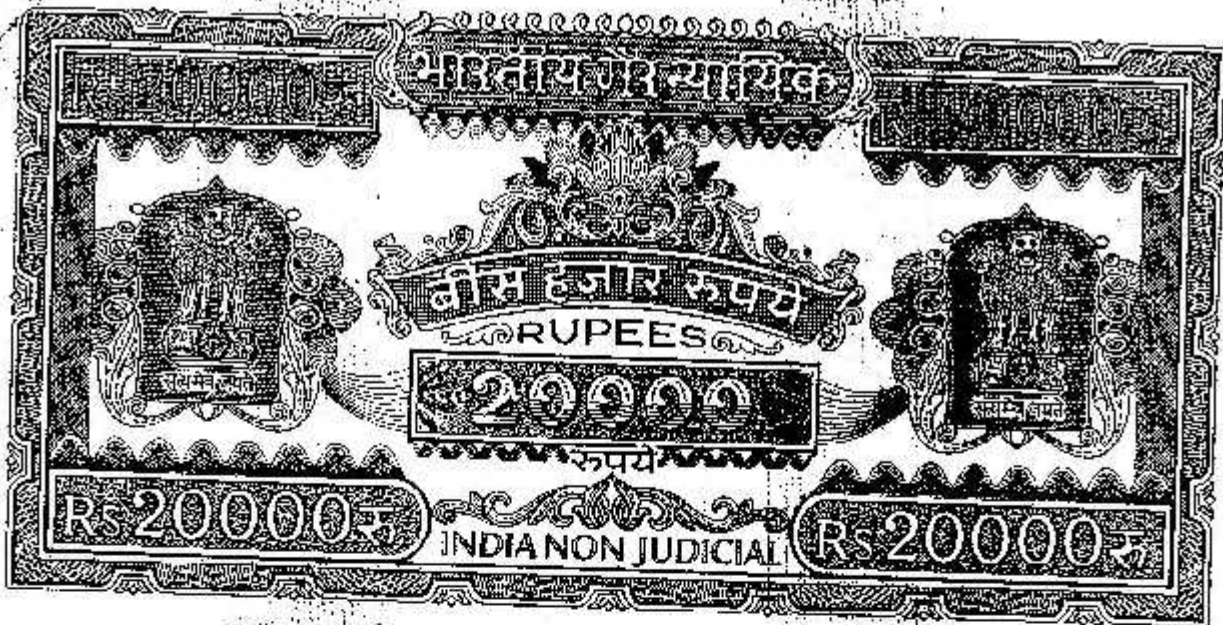
177949

20 NOV 2006

(9)

मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केला श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177950

2006

(10)

एक्साटेशन कालीगी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा करने कीमत का रुपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि०-28.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा नं बही नंबर-6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर-411 पर दिगांक-2.8.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

177951



11)

2006 हुई है शसबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी वाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उभांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

367433



12

सिद्धान्त सिंह बैनामा वसुशी राजी खूबसोचसंगडाकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-21.11.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।



मामले करीब 100 हजार लाख
गोप - निवेदन करतार पुर
जीरा/सिक

मामले - अर्थात् 100 करो. 100 लाख
अन्तर्गत करी
(नकद)



सहस्रितः सवार

डिप्टी

13

0.1540

14 व न व शक्ति ध्यान योगधन
अभिलाषितनी १५। के बाद संख्या ४९२००६-८
श्रीगणेश श्रीगणेशनाम भक्त : ४३ ना. १७ म.
व. ३० मोना लन्डा अस्पायुत भाषण अनान्त
भाता १४३ ना. १७ म. ३० व. ३० ना. १७ म.
दिनांक २३.०२.०७ के अनुसार उक्त घट में पाई
योग्य दिनांक १६.०१.०७ के अनुसार निम्न प्रकार अवकाश
प्रदान किया जाता है / मोना लन्डा अस्पायुत

संलग्निका
24 FEB 2007
29

[illegible]

अकृषित पाणिन्यकिया जाना है। ए.स.र.ज. 22. 02.07 :-

समस्या : २५

सह संपर्क : 0701 0200161

ग्राम का नाम : खेतौडा अमनपुर

जन्मपत्र :- मयूरदा

फसली वर्ष : 1412-1417

13

समस्या : २५

[illegible]

श्रवणः । ५८
भूमि जो नरकस्थलीय भूमिधरा के अधोवहना में हो ।

00392 754

सुनो

निष्कर्षः

140495

140

0.53

1

कुल गति: 2

पुनः च

6.76110

16.85

1414 फ. व. आश्व. श्रमण तदर्थे शिवाय मृदा काय. रु. 367
 734. ता. के. 23.12.06 के अनुसार खाना सं. 392 गादा सं.
 1400.0-372 मृ. ता. 12.60 से शिकना लगी पुन मृदा
 निकली भाषा कुदरीकरण पात्र रसीया का नाम निरस्त
 फरक के बता जगह सिंह पूरा मोहर सिंह निवासी
 गौरी कुल एससेशन आरतीनी शिवाय मृदा का
 नाम बदलिये वैधाना दिनांक 21.11.05 के अनुसार मृ
 दातर रु. मृ. अधिक हो। रु. 23.12.66
 1414 फ. व. आश्व. श्रमण तदर्थे शिवाय
 उपर्युक्त शिवाय मृदा के बाद संख्या 492006-07
 प्र. नं. 12 वन भूतलका मृदा 143 का. वि. एवं मृ.
 दा, आ. मृ. गा. समेक शिवाय मृदा संख्या
 बाता 143 सं. वि. एवं मृ. दा. दिनांक 15.01.07 प्र. नं.
 दिनांक 23.02.07 के अनुसार खाना सं. में वर्तित
 आदेश दिनांक 16.01.07 के अनुसार शिवाय मृदा, मंजूरित
 मंजूरित शिवाय आता है। मृ. गा. समेक शिवाय मृदा,
 खाना सं. प्र. नं. 12 वन भूतलका मृदा, शिवाय मृदा
 एससेशन जलनीनी शिवाय गा. आता संख्या 392
 खाना संख्या 140 (खाना 0.372 मृ. ता. 12.60 सं. नं.
 1414 फ. व. आश्व. श्रमण तदर्थे शिवाय मृदा के बाद संख्या 492006-07

105

अर्थ ई.

संख्या 90/21/108
दिनांक 21/11/06
पुस्तक सं. पुस्तक सं. 13209

प्राप्ति सं. 21/11/06

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
पुस्तक सं. 13209

आज दिनांक 21/11/2006 को
वही सं 1 जिल्द सं 3990
पृष्ठ सं 237 से 262 पर क्रमांक 13209
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
21/11/2006

